न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी– उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 23/2020
दायर दिनांक : 06.07.2020

**अनवान**

1. एकलिंग पिता ब्रहमा जाट निवासी रायसिंहपुरा तहसील माण्डलगढ़।
2. गुलाबी पुत्री हरदेव जाट निवासी रायसिंहपुरा तहसील माण्डलगढ़।
3. दिनेश पिता हरदेव जाट निवासी थलकला तहसील माण्डलगढ़।
4. न्याली पुत्री हरदेव जाट निवासी रायसिंहपुरा तहसील माण्डलगढ़।
5. समता देवी पत्नि रामस्वरूप जाट निवासी रायसिंहपुरा तहसील माण्डलगढ़।

—प्रार्थीगण

**बनाम**

1. छीत्तरलाल पिता कजोड़ कुम्हार निवासी रायसिंहपुरा तहसील माण्डलगढ़।
2. भवाना पिता कजोड़ कुम्हार निवासी रायसिंहपुरा तहसील माण्डलगढ़।
3. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

—अप्रार्थीगण

**उपस्थित :–**

1. श्री सांवरमल रेबारी (अधिवक्ता प्रार्थीगण)
2. श्री दिनेश तम्बोली (अधिवक्ता अप्रार्थीगण)

**प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251–ए (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955**

**–: निर्णय :–**

दिनांक : 08.01.2021

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम रायसिंहपुरा पटवार हल्का खाचरोल में स्थित भूमि आराजी संख्या 349 व 413/348 पर पैदल सजबेल ट्रेक्टर से आने जाने का रास्ता 340/3 से होकर विपक्षीगण की आराजी नम्बर 349 की उत्तरी मेर पर होकर मे स्थित 15 फीट चौड़ा रास्ता है। उक्त रास्ते का 50 वर्षो से प्रार्थीगण उपयोग उपभोग करते आ रहे है। परन्तु दिनांक 23.06.2020 को रास्ते से निकलने देने से मना कर दिया धमकी दी गई। रास्तें को राजस्व रेकॉर्ड में अंकित किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। प्रार्थीगण नियमानुसार डी.एल.सी. दर जमा कराने को तैयार है। अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि आराजी संख्या 349 व आराजी संख्या 413/348 पर 15 फीट चौड़ा रास्ता घोषित किये जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

दिनांक 28.12.2020 को तहसीलदार माण्डलगढ के पत्र क्रमांक कोर्ट/2020/2859 दिनांक 18.12.2020 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। यह कि प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि ग्राम रायसिंहपुरा पटवार हल्का खाचरोल की आराजी संख्या 349 व 413/348 पर पहुंचने के लिये विपक्षीगण के आरा[illegible] चौड़ा रास्ते हेतु मांग किया है। प्रार्थी के आराजी पर पहुंचने के लिये [illegible] रास्ता है जो स्वयं प्रार्थिया के आपस में दर्ज कुए पर जाने का [illegible] रास्ता आराजी नम्बर 349 व 413/348 पर जाने के लिये [illegible] बहुत लम्बा है। मांगा गया रास्ता लघुतम है। विपक्षी की खाते की भूमि [illegible] 2 बिस्वा भूमि रास्ते के उपयोग [illegible] में आने वाली 2 बिस्वा [illegible] का उपयोग होगा जिस[illegible] जावेगी। रास्ते हेतु उपयोग में आने वाली 2 बिस्वा भूमि की वर्तमान डी.एल.सी. दर 272655 रूपये प्रति बीघा से दुगुनी दर 54532 रूपये बनती है। पक्षकारान को जरिये सूचना पत्र के सूचित किया गया। प्रतिवादी कजोड़ कुम्हार उपस्थित है तथा हस्ताक्षर है।

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Utsah Chaudhary
Date: 2021.01.25 13:50:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

पत्रावली पेश हुई। हमने सर्वपक्षीय बहस पर मनन किया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेज, राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2076–79, जमाबन्दी सम्वत 2076–2020 दिनांक 28.12.2020 को तहसीलदार माण्डलगढ़ से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया। तहसीलदार माण्डलगढ़ द्वारा अपनी रिपोर्ट में अवगत करवाया गया कि प्रार्थी की आराजी पर पहुँचने के लिए आराजी नम्बर 340/3 से प्रार्थी निकलते है प्रार्थी की आराजी पर पहुँचने के लिए उनके द्वारा मांगा गया रास्ता लघुतम है। विपक्षी की खाते की 2 बिस्वा भूमि रास्ते के उपयोग हेतु ली जावेगी। रास्ते हेतु 2 बिस्वा खातेदारी भूमि का उपयोग होगा जिसकी डी. एल.सी. दर 272655 रू. प्रति बीघा से 54532 रू. दुगुनी बनती है। उक्त तथ्यों, दस्तावेजों एवं संलग्न आवेदन पत्रों के आधार पर प्रार्थना पत्र अस्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

अतः राजस्थान कास्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–ए (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये ग्राम रायसिंहपुरा पटवार हल्का खाचरोल तहसील माण्डलगढ़ के आराजी संख्या 349 व 413/348 पर पहुंचने के लिये विपक्षी की ग्राम रायसिंहपुरा पटवार हल्का खाचरोल की आराजी संख्या 340/3 में से 2 बिस्वा रास्ता चाहा गया है। मामले में तहसीलदार माण्डलगढ़ की रिपोर्ट का अवलोकन करने पर प्रार्थी पक्षकारान् द्वारा जिस भूमि पर आवागमन हेतु रास्ता चाहा गया है, पूर्व से ही रास्ता है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रार्थी पक्षकार संख्या 1 व 3 द्वारा उक्त वर्णित रास्ता चाहने बाबत् जो प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसको खारीज करवाने हेतु निवेदन किया है। इस प्रकार जिस भूमि हेतु रास्ता चाहा गया है कि सभी खातेदारान् एकमत् नही होकर भिन्नता है। जिससे प्रार्थी पक्षकारान् संख्या 2 व 4 भूमि का बटवाड़ा/विभाजन करवाने उपरान्त रास्ता हेतु पृथक से आवेदन कर सकते है। अतः पूर्व से रास्ता होने एवं प्रार्थी पक्ष एकमत् नही होने से प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 08.01.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Utsah Chaudhary
Date: 2021.01.25 13:50:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner